



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022025-260950
CG-DL-E-12022025-260950

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 718]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 12, 2025/माघ 23, 1946

No. 718]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 2025/MAGHA 23, 1946

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2025

का.आ. 722(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में मुंबई - वडोदरा एक्सप्रेसवे स्पर ते एनएच - एनई 4 के कि.मी. 58.820 से कि.मी.74.195 (महाराष्ट्र सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौडा करणे/छह/आठ लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तथा उपविभागीय अधिकारी, उल्हासनगर विभाग, उल्हासनगर, ठाणे महाराष्ट्र को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायीव्दारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपों की सुनवाई के

पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में मुंबई - वडोदरा एक्सप्रेसवे स्पर ते एनएच - एनई 4 के कि.मी. 58.820 से कि.मी. 74.195 (महाराष्ट्र सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: ठाणे		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अम्बरनाथ					
गांव का नाम: बदलापूर					
1	267P	निजी	कृषी	0.0222 (हेक्टेयर)	0.0222
2	270/A P	निजी	कृषी	0.0016 (हेक्टेयर)	0.0016
3	77/3	निजी	कृषी	0.0023 (हेक्टेयर)	0.0023
4	77/4 P	निजी	कृषी	0.0003 (हेक्टेयर)	0.0003
5	77/5	निजी	कृषी	0.0005 (हेक्टेयर)	0.0005
गांव का नाम: जोवेली					
6	10/3/A	निजी	कृषी	0.0246 (हेक्टेयर)	0.0246
7	10/4/1	निजी	कृषी	0.0055 (हेक्टेयर)	0.0055
Total					0.057

[फा. सं. NHAI/PIU/Surat (Expressway)/3A]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2025

S.O. 722(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/Six/Eight laning etc.,), maintenance, management and operation of Mumbai - Vadodara Expressway Spur to NH-NE4 in the stretch of land from Km. 58.820 to Km. 74.195 (Maharashtra Section) in the district of Thane in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, sub divisional officer, Ulhasnagar Division Ulhasnagar, Thane Maharashtra in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDELE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in the stretch of land from Km. 58.820 to Km. 74.195 (Maharashtra Section) Mumbai - Vadodara Expressway Spur to NH-NE-4, in the district of Thane in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: THANE		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Ambarnath					
Village: Badlapur					
1	267P	Private	Agricultural	0.0222 (Hectare)	0.0222
2	270/A P	Private	Agricultural	0.0016 (Hectare)	0.0016
3	77/3	Private	Agricultural	0.0023 (Hectare)	0.0023
4	77/4 P	Private	Agricultural	0.0003 (Hectare)	0.0003
5	77/5	Private	Agricultural	0.0005 (Hectare)	0.0005
Village: Joveli					
6	10/3/A	Private	Agricultural	0.0246 (Hectare)	0.0246
7	10/4/1	Private	Agricultural	0.0055 (Hectare)	0.0055
					Total 0.057

[F. No. NHAI/PIU/Surat (Expressway)/3A]

ABHAY JAIN, Director